8.6.23 प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर पत्रावली आज पेश हुई।

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि आदेश दि. 11-2-23 में लिपिकीय गलती से प्रार्थी का गलत पता लिखने में आ गया है, जिसे संशोधित कर प्रार्थी का सही पता प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम अम्बापुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.) की अमल में लाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित आदेश जारी किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा

बईजलास दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

मिसल नं. 74 / 2022

बउनवान

मदन सिंह चौधरी पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तह. सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।
—प्रार्थी —

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा
— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थिति —

प्रार्थी की ओर से — श्री रमेश कुमार शर्मा एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से — पैरोकार सरकार

दिनांक : 8/6/23

—:: संशोधित आदेश ::—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम नयापुरा पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 142 के खसरा नं. 133 पूर्वी की 0.02 हैक्टर , खसरा नं. 56 की 0.11 है. , खसरा नं. 638 उत्तरी की 0.67 है. , खसरा नं. 64 की 0.23 है. , खसरा नं. 709 पूर्वी की 3.48 है. कुल 5किता की 4.51 है. आराजी स्थित है। जिसका प्रार्थी खातेदार कृषक है और प्रार्थी उक्त आराजी को मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी के राजस्व रेकार्ड की नकल जमाबन्दी प्राप्त की तो प्रार्थी की जानकारी में आया कि उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का घर का बोलता नाम मदन लाल दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी के पहचान के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , पेन कार्ड , बैंक की डायरी आदि में प्रार्थी का नाम मदन सिंह चौधरी है जिसके कारण प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की उक्त आराजी का विकास कार्य करवाने व कृषि अनुदान आदि प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है प्रार्थी को अपनी आराजी 2

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

के राजस्व रेकार्ड में नाम गलत होने की जानकारी होने पर प्रार्थी ने पटवारी हल्का कमोलर से उक्त नाम को दुरुस्त करने की कहने पर उनके द्वारा साफ मना कर दिया गया तथा तहसीलदार सांगोद के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर भी प्रार्थी के गलत नाम को दुरुस्त नहीं किया गया जिससे माननीय न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और निवेदन किया गया कि तहसीलदार साहब सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान से जांच करवाकर बाद जांच प्रार्थी का नाम उपरोक्त वर्णित राजस्व रिकार्ड माल ग्राम नयापुरा पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 142 के खसरा नं. 133 पूर्वी की 0.02 हैक्टर , खसरा नं. 56 की 0.11 है. , खसरा नं. 638 उत्तरी की 0.67 है. , खसरा नं. 64 की 0.23 है. , खसरा नं. 709 पूर्वी की 3.48 है. कुल 5किता की 4.51 है. आराजी में प्रार्थी का नाम मदन लाल के स्थान पर मदन सिंह चौधरी शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान कर राजस्व रिकार्ड में मदन सिंह चौधरी दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सांगोद को आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई जिसमें अप्रार्थी उपस्थित हुए लेकिन कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया साथ ही उक्त शुद्धि किये जाने से कोई राजहित प्रभावित नहीं होनें से अप्रार्थी का जवाब लेना भी आवश्यक नहीं समझा तथा पत्रावली बहस प्रार्थी में रखी गई तथा प्रार्थी के अधिवक्ता में द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराया गया।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों व संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन करने में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम नयापुरा पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 142 के खसरा नं. 133 पूर्वी की 0.02 हैक्टर , खसरा नं. 56 की 0.11 है. , खसरा नं. 638 उत्तरी की 0.67 है. , खसरा नं. 64 की 0.23 है. , खसरा नं. 709 पूर्वी की 3.48 है. कुल 5किता की 4.51 है. आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रार्थी के गलत नाम

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

मदन लाल को दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में मदन लाल के स्थान पर मदन सिंह चौधरी शुद्ध किये जाने` आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 8/6/23.... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

दिव्यराज सिंह चुण्डावत
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद